सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/SER-1009/CG/77/2023-RO-RPR-RU-IV दिनांक :27/10/2025

सेवा मे,

महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
मुख्यालय, बिलासपुर -495004, छत्तीसगढ़
E.mail: gm@secr.railnet.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री लक्ष्मण सिंह, पिता स्व .श्री रोहित राम, निवासी -रेल्वे इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह, रायपुर छ.ग .से प्राप्त अभ्यावेदन " नौकरी में बहाली हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय

यो. प्र/ यादव . Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री लक्ष्मण सिंह
Quarter No. 1158/2,
रेल्वे इंस्टीट्यूट,
इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह,
रायपुर, छत्तीसगढ़

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाईल संख्या : NCST/SER-1009/CG/77/2023-RO-RPR

अभ्यावेदक श्री लक्ष्मण सिंह, पिता स्व. श्री रोहित राम, निवासी रेलवे इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलोनी, फाफाडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा नौकरी में पुनर्बहाली हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2023 के संदर्भ में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में अपराह्न 12:40 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में अयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग का समय एवं तिथि : 18.09.2025 को 12:40 PM
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी- रेलवे इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलोनी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.) ने आयोग को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.07.2023 में उल्लेख किया कि उन्हें दिनांक 25.08.2006 को उनके दिवंगत पिता के स्थान परअनुकंपा नियुक्ति के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में हेल्पर पद पर नियुक्त किया गया था।उन्होंने बताया कि माता-पिता के निधन के पश्चात वे अपनी 8 वर्षीय छोटी बहन की देखभाल हेतु समय-समय पर अवकाश लेने को विवश थे। इस कारण वे 01.07.2007 से 30.06.2018 तक नियमित रूप से सेवा नहीं कर पाए। विभाग ने उन्हें दिनांक 26.02.2019 को अनुशासनात्मक आधार पर बिना पेंशन लाभ के सेवा से बर्खास्त कर दिया। आर्थिक रूप से अत्यंत संकटग्रस्त होने एवं परिवार में आय का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण, उन्होंने आयोग से नौकरी में पुनः बहाली हेतु अनुरोध किया है ।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा दिनांक 01.08.2023 को मण्डल रेलवे प्रबन्धक, श्री नगर, रायपुर तथा मुख्य कर्मशाला प्रबंधक, वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर को नोटिस जारी किया गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपना उत्तर क.-वैरिशों/कार्मिक/अनु एवं अपील/2023/1946 दिनांक 18.09.2023 को आयोग को प्रेषित किया, जिसे अभ्यावेदक को जानकारी हेतु अग्रेषित किया गया। इसके पश्चात् अभ्यावेदक ने उक्त विभागीय उत्तर के संदर्भ में दिनांक 06.12.2023 को पुनरुत्तर प्रस्तुत कर अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने बार-बार पत्राचार के माध्यम से आयोग से न्यायोचित हस्तक्षेप की मांग भी की है।

4. प्रकरण की गंभीरता एवं निरंतर पत्राचार को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा दिनांक 18.09.2025 को दोपहर 12:40 बजे सुनवाई निर्धारित की गई । तदनुसार, सिटिंग नोटिस दिनांक 11.09.2025 महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को भेजा गया तथा आवेदक को भी इसकी सूचना दी गई।

5. सुनवाई के अवसर पर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उपस्थित नहीं हुए, उनके स्थान पर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उपस्थित हुए। हालांकि, आवेदक श्री लक्ष्मण सिंह सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारी ने सूचित किया कि श्री लक्ष्मण सिंह, जो तकनीशियन (पूर्व में हेल्पर) के पद पर कार्यरत थे, को अनुकम्पा आधार पर 25.08.2006 को सेवा में नियुक्त किया गया था।अपनी सेवा अवधि के दौरान आवेदक ने बार-बार अनाधिकृत अनुपस्थिति की, जिसके कारण उन्हें बड़ी शास्ति आरोप पत्र देकर दंडित किया गया। वर्ष 2014, 2015, 2016 तथा 2017 में क्रमशः 10 माह, 3 माह, 1 माह 15 दिन तथा 1 माह की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई, पदावनति की गई तथा सेवा

आशालकड़ा

रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं। वर्ष 2018 में भी वे पुनः 1 माह 15 दिन के लिए अनुपस्थित रहे।उनकी इस अनियमितता को रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3.1(ii, iii) का उल्लंघन माना गया, और परिणामस्वरूप उन्हें अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के अंतर्गत बड़ी शास्ति आरोप पत्र देकर दंडित किया गया। इसके तहत 26.02.2019 को उन्हें बिना पेंशनरी लाभ के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

6. श्री लक्ष्मण सिंह ने इस दंडादेश के विरुद्ध दिनांक 28.03.2019 को अपील तथा 12.07.2019 को पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिन्हें क्रमशः 10.04.2019 और 14.10.2019 को अस्वीकार कर यथावत रखा गया। पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा संपूर्ण सेवा अवधि का परीक्षण करते हुए यह पाया गया कि श्री सिंह कुल 4 वर्ष 3 महीने की अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।बाद में उन्होंने एक दया याचिका भी प्रस्तुत की, किंतु उसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण उसका भी निपटारा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि रेलवे सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत अभ्यावेदक द्वारा सभी विभागीय अवसरों का उपयोग किया जा चुका है।

7. अत: आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुसंशा की जाती है कि :

i. प्रस्तुत तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात यह सिद्ध होता है कि अभ्यावेदक अपनी सेवा अवधि के दौरान बार-बार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं इसीलिए ही उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। अतः, इस प्रकरण में आयोग द्वारा कोई कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं है तथा प्रकरण को बंद किया जाता है।

14/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1009/CG/77/2023-RO-RPR-RU-IV

Sitting to be held on **18.09.2025 at 12.40 P.M-** अभ्यावेदक **श्री लक्षमण सिंह,** पिता स्वश्री रोहित राम ., निवासी - रेल्वे इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह, रायपुर से प्राप्त अभ्यावेदन (.ग.छ)" नोकरी में बहाली हेतु आवेदन पत्र ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from General Manager, South East Central Railway, Bilaspur, Chhattisgarh**		
1.	आदित्य कुमार प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी	द.पू.म. रेलवे बिलासपुर 9752475600	[illegible]
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			